भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 06 जुलाई, 2020

(असाधारण भाग I—खंड -1)
अधिसूचना

सरकारी स्टॉक (जी एस) की बिक्री (पुनर्निर्गम) के लिए नीलामी

एफ.संख्या.4(5)-बी(डब्ल्यूएंडएम)/2020: भारत सरकार एतद द्वारा नीचे दिए गए अनुसार सरकारी स्टॉक, की बिक्री **(पुनर्निर्गम)** अधिसूचित करती है।

प्रतिभूति का नाम	मूल निर्गम की तारीख	मूल अवधि (वर्ष-माह-दिन)	परिपक्वता की तारीख	नीलामी का आधार	नीलामी की विधि	अधिसूचित राशि (करोड़ ₹ में)
5.22% सरकारी प्रतिभूति, 2025	15 जून, 2020	05-00-00	15 जून, 2025	मूल्य	विविध	12,000
6.19% सरकारी प्रतिभूति, 2034	01 जून, 2020	14-03-15	16 सितम्बर, 2034	मूल्य	विविध	11,000
7.16% सरकारी प्रतिभूति, 2050	20 अप्रैल, 2020	30-05-00	20 सितम्बर, 2050	मूल्य	विविध	7,000

भारत सरकार के पास उपरोक्त प्रतिभूतियों में से प्रत्येक के परिपेक्ष्य में 2,000 करोड़ रुपए तक अतिरिक्त अभिदान बनाए रखने का विकल्प होगा। यह बिक्री इस अधिसूचना (जिसे 'विशिष्ट अधिसूचना' कहा गया है) में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। उपर्युक्त सरकारी स्टॉक, भारत सरकार द्वारा जारी सामान्य अधिसूचना एफ.संख्या.4(2)-डब्ल्यूएंडएम/2018, दिनांक 27 मार्च, 2018 में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई -400001 के माध्यम से बेचा जाएगा।

अप्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं को आबंटन

2. सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामियों में अप्रतिस्पर्धी बोली देने की सुविधा की संलग्न स्कीम (अनुबंध) के अनुसार, बिक्री की अधिसूचित राशि का 5 प्रतिशत तक सरकारी स्टॉक पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को आबंटित किया जाएगा ।

नीलामी का स्थान एवं तारीख

3. यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई कार्यालय, फोर्ट, मुंबई-400001 द्वारा **10 जुलाई, 2020** को संचालित की जाएगी। नीलामी हेतु बोलियां भारतीय रिजर्व बैंक कोर बैंकिंग सोल्यूशन (ई-कुबेर) प्रणाली संबंधी इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में **10 जुलाई, 2020** को प्रस्तुत की जानी चाहिए। अप्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे के बीच और प्रतिस्पर्धी बोलियां पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कब निर्गमित कारोबार

4. यह स्टॉक, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, 'कब निर्गमित' कारोबार के लिए पात्र होगा।

निर्गम की तारीख और स्टॉक के लिए भुगतान

5. नीलामी का परिणाम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने फोर्ट स्थित मुंबई कार्यालय में **10 जुलाई, 2020,** को प्रदर्शित किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं द्वारा भुगतान **13 जुलाई, 2020** अर्थात् **पुनर्निर्गम** की तारीख को किया जाएगा। स्टॉक के लिए भुगतान में नीलामी में आबंटित स्टॉक के अंकित मूल्य पर, मूलनिर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से प्रोद्भूत ब्याज देय होने की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज शामिल होगा जैसा कि पैरा 6 में तालिका में उल्लिखित है।

ब्याज का भुगतान और स्टॉक का पुनर्भुगतान

6. मूल निर्गम/अंतिम कूपन भुगतान की तारीख से स्टॉक के अंकित मूल्य पर ब्याज प्रोद्भूत होगा तथा इसका भुगतान अर्द्धवार्षिक आधार पर किया जाएगा। स्टॉक का पुनर्भुगतान परिपक्वता की तारीख पर सममूल्य पर किया जाएगा।

प्रतिभूति का नाम	कूपन दर (%)	अंतिम कूपन भुगतान की तारीख	किस तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज देय है	कूपन भुगतान की तारीख (तारीख/माह)
5.22% सरकारी प्रतिभूति, 2025	5.22	नया स्टॉक	12 जुलाई, 2020	15 दिसंबर और 15 जून
6.19% सरकारी प्रतिभूति, 2034	6.19	नया स्टॉक	12 जुलाई, 2020	16 सितम्बर और 16 मार्च
7.16% सरकारी प्रतिभूति, 2050	7.16	नया स्टॉक	12 जुलाई, 2020	20 सितम्बर और 20 मार्च

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

6/7/20

(रजत कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार